समक्ष जी**.** एस**.** संधवालिया **,** जे**.**

करतार सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी

CWP No.9487

15 सितंबर, 2021

भारत का संविधान**, 1950**। अनुच्छेद **226** और **227**-जन्म तिथि में सुधार के बाद सेवा में लाभ-मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम श्याम किशोर सिंह**, 2020 (3)** एस**.** सी**.** सी**. 411** के मामले को देखते हुए**,** भले ही यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत न हो कि दर्ज की गई जन्म तिथि गलत है**,** सुधार का दावा सेवा के अंत में अधिकार के मामले के रूप में नहीं किया जा सकता है-इसलिए**,** रिट याचिका खारिज कर दी गई।

इसी प्रकार मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम श्याम किशोर सिंह, 2020 (3) एस. सी. सी. 411 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत न हो कि दर्ज की गई जन्म तिथि गलत है, सुधार को सेवा के अंतिम छोर पर अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।यह देखा गया कि सेवा को वर्ष 1982 में स्वीकार किया गया था और वर्ष 2009 में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था और कर्मचारी को वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त होना था। मैट्रिक प्रमाणपत्र पर भरोसा रखने के कारण और चूंकि झारखंड के उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसे खण्ड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था, इसलिए उक्त आदेशों को देरी के आधार पर ही रद्द कर दिया गया था।प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:-

"11. प्रतिवादी के वकील ने दूसरी तरफ इस कोर्ट के आदेश जो बिलकुल इसी तरह के मालिक से सम्बंदित है, पर भरोसा किया है। अपीलकर्ता इस केस शीर्षक भारत कुकिंग कोल् लिमिटेड और अन्य बनाम छोटा बिरसा उरांव 2014 12 एस. सी. सी. 570 जिसमें इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें जन्म तिथि में परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए एक निर्देश

जारी किया गया था। उसी पर विचार करने के बाद हमारा मानना है कि उक्त निर्णय प्रतिवादी को इसमें सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। यही कारण है कि उक्त मामले में यह ध्यान दिया गया था कि 1987 में राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (iii) के कार्यान्वयन पर कर्मचारियों और इसके सभी कर्ता सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के सेवा रिकॉर्ड को स्थिर करने के लिए अमल में लाया गया था। कर्मचारियों को उनके सेवा रिकॉर्ड के विवरण वाला एक नामांकन पत्र प्रदान करके सेवा रिकॉर्ड में विसंगतियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने का मौका प्रदान किया गया था।उद्धृत मामले में प्रतिवादी (कर्मचारी) ने अपनी जन्म तिथि, नियुक्ति की तारीख, पिता के नाम और स्थायी पते के संबंध में अभिलेखों में विसंगतियों को देखा था और सुधार की मांग करने के अवसर का लाभ उठाया था।हालाँकि उन्होंने त्रुटियों को सुधारने की मांग की थी, लेकिन अन्य विसंगतियों को सही कर दिया गया था, लेकिन जन्म तिथि और नियुक्ति की तारीख हालांकि अपरिवर्तित रही थी और इस दृष्टिकोण से कर्मचारी के पास उपाय था जिसमें उसे लाभ दिया गया था।

12. दूसरी ओर, तत्काल मामले में, शामिल होने की तारीख और वर्ष 1987 में भी जब प्रतिवादी को नामांकन प्रपत्र भरने और दोष को सुधारने का अवसर मिला था, तो उसने जन्म तिथि 04.03.1950 के रूप में दर्शाई थी और 1998 में भविष्य निधि नामांकन प्रपत्र भरे जाने पर इसे दोहराया था।अपनी सेवा में शामिल होने की तारीख से 30 साल से अधिक समय के बाद ही उन्होंने वर्ष 2009 में पहली बार प्रतिनिधित्व किया था।इसके अलावा प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति से पहले तुरंत न्यायिक उपाय का लाभ नहीं उठाया। इसके बजाय, प्रतिवादी 31.03.2010 पर सेवा से सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद भी रिट याचिका उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से चार साल बाद ही वर्ष 2014 में दायर की गई थी।उस परिस्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दिखाया गया अनुग्रह उचित नहीं था।

(पैरा 17)

और आगे कहा कि कानून के तय किए गए सिद्धांतों को मद्देनज़र रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि जन्म तिथि को सही करने के लिए कोई अनिवार्य रिट जारी करने के लिए कोई मामला नहीं है, जिसे याचिकाकर्ता ने वर्ष 2002 में नियुक्ति के बाद से अपनी सेवा के दौरान स्वीकार किया है।अब लगभग दो दशकों के बाद सेवा के अंतिम चरण में, जो सुधार की मांग की गई है उसकी आवश्यकता नहीं है । रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

(पैरा 18)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मणि राम वर्मा,

कीर्ति सिंह, डीएजी, हरियाणा।

जी. एस. संधवालिया, जे.

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता अपनी जन्म तिथि के प्रामाणिक प्रमाण के अनुसार जन्म तिथि को सही करने और उसे सही जन्म तिथि की सेवा में उचित लाभ देने के लिए प्रतिवादी-प्राधिकरण को निर्देश देने के साथ अनिवार्य प्रकृति में एक रिट जारी करने की परमादेश करता है।

(2) विशेष रूप से याचिकाकर्ता अपनी जन्म तिथि को अपनी सेवा पुस्तिका में 08.05.1963 से 07.12.1964 में सुधारना चाहता है।यह एक प्रमाण पत्र पर आधारित है जो अब 10.12.2020 पर जारी किया गया है (अनुलग्नक पी -1) पंजीयक द्वारा (जन्म और मृत्यु)।उनकी जन्म तिथि के पंजीकरण की तारीख 23.12.1964 है।यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को 02.12.2002 पर गणित मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी जन्म तिथि 08.05.1963 के रूप में दर्ज की गई थी और उसी के आधार पर उन्हें 31.05.2021 पर सेवानिवृत्त होना था, जो प्रचलित सेवा नियमों के अनुसार होगा।

(3) यह उनका कहना है कि उनके परिवार के सदस्यों की निरक्षरता के कारण, जन्म तिथि को उनके सेवा रिकॉर्ड में गलत तरीके से दर्ज किया गया था और मुख्य रूप से मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेश के कारण, जो उनकी पूरी सेवा के दौरान जारी रहा। यह उनका अपना कहना है कि अपनी सेवानिवृत्ति के करीब, उन्होंने अपनी सही जन्म तिथि का पता लगाने की कोशिश की और इसे पंजीयक (जन्म और मृत्यु) (अनुलग्नक पी-1) से प्राप्त किया। नतीजतन, कानूनी नोटिस 10.03.2021 को दिया गया था जैसा कि रिट याचिका में अनुरोध किया गया था, हालांकि कथित रूप से संलग्नक पी-2 के अनुसार 10.03.2020 दिनांकित था।यह भी उल्लेख किया गया है कि इसे 12.03.2021 पर पंजीकृत डाक द्वारा से भेजा गया था।उसी पर निष्क्रियता के कारण, उन्होंने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था।उनकी जन्म तिथि के समर्थन में रिश्तेदारों के शपथ पत्र भी संलग्न किए गए हैं जो उन्हें सेवा में डेढ़ साल अतिरिक्त देंगे।

(4) समन्वय पीठ ने विवाद का सारांश देते हुए 05.05.2021 पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया थाः-

“याचिकाकर्ता, जिसकी आयु लगभग 56 वर्ष है, ने यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें प्रतिवादी को सेवा रिकॉर्ड में अपनी जन्म तिथि को सही करने परमादेश देने के लिए एक अनिवार्य रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता को एक सरकारी स्कूल में 02.12.2002 पर गणित मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और उसकी जन्म तिथि 08.05.1963 के रूप में दर्ज की गई है, इसलिए, याचिकाकर्ता को 31.05.2021 पर सेवानिवृत्त होना है। आगे यह भी कहा गया है कि वास्तव याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 07.12.1964 है। उसी के समर्थन में, याचिकाकर्ता अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपने कुछ ग्रामीणों के हलफनामों कि उसकी सही जन्म तिथि वर्ष 1964 से संबंधित है पेश किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने 10.03.2020 (अनुलग्नक P2) पर कानूनी नोटिस दिया है, जिसका फैसला अभी नहीं हुआ है । याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता को अपनी सही जन्म तिथि के बारे में पता नहीं था और अब यह पता चलने पर उन्होंने कानूनी नोटिस दिया है जिसका फैसला आज तक नहीं हुआ है।

यह बहुत अजीब और आश्चर्यजनक है कि रजिस्ट्री ने इस प्रतिबंधात्मक सुनवाई अवधि के दौरान इस मामले को तत्काल सूची में रखा है, जबकि इसमें कोई रोक लगाने की प्राथना नहीं है । आश्चर्य की बात यह है कि याचिकाकर्ता की आयु लगभग 56 वर्ष है और वह वर्ष 2002 में सेवा में नियुक्त हुआ था और उसने उचित समय के भीतर अपनी शिकायत के निवारण के लिए कभी भी सक्षम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया।यहां तक कि कानूनी नोटिस मार्च 2020 के महीने में जारी किया गया था और यह याचिका 1 साल की अवधि के बाद दायर की गई है, इस स्पष्ट कारण से कि यदि इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता दावा कर सकता है कि सीमा अस्वीकृति की तारीख से शुरू होनी चाहिए।

यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस पंजाब राज्य और अन्य बनाम एस. सी. चड्ढा, "2004 (1) एस. सी. टी. 863 में कहा गया है कि अनुचित देरी के आधार पर जन्म तिथि में सुधार का दावा खारिज किया जा सकता है।यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किया जाता है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केस “सीमा घोष बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी **", 2006** ए**.** आई**.** आर**. (**एस**.** सी**.) 2936** में भी यही माना है कि सेवा में प्रवेश करने के लिए जन्म तिथि का लाभ लेने के बाद, बाद में किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय बदलने या सुधार के लिए पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किया जाता है. माननीय सुप्रीमो ने केस “बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड बनाम श्री दीनबंधु मजूमदार **",** 1995 ए. आई. आर. (एस. सी.) 1499 ने कहा कि सेवानिवृत्ति से बचने के लिए सेवा के अंतिम चरण में जन्म तिथि में सुधार के लिए दायर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा

सकता है क्योंकि ऐसे कर्मचारी को सेवा में बने रहने के लिए अंतरिम राहत देना अविवेकपूर्ण होगा। इसी तरह का दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केस गुजरात राज्य और अन्य बनाम अन्य वली मोहम्मद दोसाभाई सिंधी ", 2006 ए. आई. आर. (एस. सी.) 2735 में अपनाया है कि यदि कोई सीमा अवधि नहीं है, तो कर्मचारी को कुछ उचित समय के भीतर सुधार की मांग करें और विलंबित याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि सेवा में बने रहने की कोई अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह का विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केस **2001** ए**.** आई**.** आर**. (**एस**.** सी**.) 166** और **2020 (3)** एस**.** सी**.** सी**. 411**।

यद्यपि गुण-दोष के आधार पर, यह याचिका अन्यथा विचारणीय नहीं है क्योंकि इसमें तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल हैं और केवल एक दीवानी मुकदमा ही विचारणीय है, वह भी वाद हेतुक कारण से उपार्जित सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर और इसलिए, यह मुकदमा याचिका सभी मामलों में विफल होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर, 27.05.2021 पर फिर से सूचीबद्ध करें।

तत्काल सूची में दिखाया जाना है।"

(5) श्री वर्मा ने अपनी सामान्य जोरदार शैली में याचिकाकर्ता के मामले को उन सभी खातों पर पेश करने की कोशिश की है जिनका राज्य द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 का शपथ पत्र दायर करके विरोध किया गया था।

(6) राज्य का बचाव इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता बी. एससी और बी. ई. डी. का डिक्री धारक होने के नाते, सेवा में प्रवेश करने के समय अपनी सही जन्म तिथि के बारे में पूरी तरह से जानता था।जन्म तिथि सेवा पुस्तिका में 08.05.1963 के रूप में दर्ज की गई थी और मैट्रिक प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति शामिल होने के समय जमा की गई थी।यह आगे उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता अपने आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 31.05.2021 पर इस बीच सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की आयु 58 वर्ष है और वह वर्ष 2002 में सेवा में शामिल हुआ था और उचित समय के भीतर ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था। केवल एक दीवानी मुकदमा बनाए रखा जा सकता है और वह भी सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर। भरोसा उन फैसलों पर रखा गया था जिन्हें समन्वय पीठ ने उपरोक्त में उद्धृत किया था जोकि स्टेट ऑफ़ पंजाब और अन्य बनाम अस सी चढ़ा**,** सीमा घोष बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी**,** बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड बनाम श्री दीनबंधु मजूमदार**,** स्टेट ऑफ़ गुजरात और अन्य बनाम गुजरात वली मोहमद डोसा भाई सिंधी"

(7) राज्य द्वारा दायर जवाब के जवाब में, उक्त निर्णयों को अलग करने की मांग की गई थी पंजाब वित्तीय/सिविल सेवा नियम, खंड-1, भाग-1 (हरियाणा राज्य पर लागू), अन्य निर्णयों के अलावा, जो इस न्यायालय की राय में प्रासंगिक नहीं होंगे, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनमें से अधिकांश पहले के समय से संबंधित थे और इस न्यायालय द्वारा तब प्रस्तुत किए गए थे जब जन्म तिथि के संबंध में कानून अधिक उदार था।

(8) भारत संघ बनाम हरनाम सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कर्मचारी के पास अपनी जन्म तिथि से संबंधित अकाट्य प्रमाण है तो वह अपनी जन्म तिथि में सुधार की मांग कर सकता है, लेकिन शर्त यह थी कि इसे बिना किसी अनुचित देरी के किया जाना चाहिए।बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र के रिट पर टिप्पणी की गई थी कि कि अधिकार क्षेत्र की असाधारण प्रकृति का उद्देश्य सरकार या उसके उपकरणों के कर्मचारियों को नियोक्ताओं द्वारा स्वीकार की गई उनकी जन्म तिथि के अनुसार पात्रता की अवधि से परे सेवा में बने रहना नहीं है।उक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के आधार पर, कर्मचारी सेवा में बना रहा और हालाँकि उसे 24.04.1991 पर सेवानिवृत्त होना था और उसे 05.06.1990 पर उक्त तथ्य के बारे में सूचित किया गया था।उन्होंने मैट्रिक प्रवेश पत्र में पाई गई अपनी जन्म तिथि के कारण सेवा में विस्तार के लाभ के लिए प्रार्थना की, जिसमें यह दिखाया गया था कि उनका जन्म 07.07.1934 पर हुआ था, हालांकि नियोक्ता के साथ उनकी घोषित जन्म तिथि 25.04.1931 थी। परिणामस्वरूप, निम्नलिखित आदेश किए गए:-

"10. उच्च न्यायालयों द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गए रिट आवेदनों और उसके उपकरण की सुनवाई उनकी सेवाओं के अंतिम छोर पर करना और जब वह सेवामुक्त होने वाले हो, हमारे विचार में अनावशयक है। तो हमारे विचार में अनुचित है।यह इस कारण से होगा कि कोई भी कर्मचारी जन्म तिथि में सुधार के अधिकार का दावा नहीं कर सकता और सरकारी या इसके उपकरणों के कुछ कर्मचारियों की जन्म तिथि में सुधार के लिए ऐसे रिट आवेदनों की सुनवाई से उसके कनिष्ठों की पदोन्नति की संभावनाओं पर असर पड़ेगा और यह अन्य कर्मचारियों के लिए अपने सेवा जीवन के अंतिम चरण में इसी तरह के आवेदन करने के लिए एक अनुचित प्रोत्साहन साबित होगा, जिसका एक मात्र उद्देश्य उनकी सेवानिवृत्ति को रोकना है।अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित अधिकार क्षेत्र की असाधारण प्रकृति हमारे सुविचारित विचार में, संविधान का उद्देश्य सरकार या उसके उपकरणों के कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा स्वीकार की गई

जन्मतिथि के अनुसार उनकी पात्रता की अवधि से परे सेवा में बने रहना नहीं है, जो तथाकथित नई पाई गई सामग्री पर निर्भर करता है।यह तथ्य कि सरकार का कोई कर्मचारी या उसका साधन, जो दशकों से अधिक समय तक सेवा में रहेगा, बिना किसी आपत्ति के अपनी जन्म तिथि के रूप में उठाया गया, नियोक्ता द्वारा सही के रूप में स्वीकार किया गया, जब अचानक अपने सेवा कैरियर के अंतिम चरण की ओर उच्च न्यायालय के समक्ष अपने सेवा रिकॉर्ड में अपनी जन्म तिथि को सुधारने के लिए एक रिट आवेदन के साथ आगे आता है, तो कर्मचारी द्वारा मामले में आपत्ति नहीं उठाने का आचरण, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के लिए एक पर्याप्त कारण होना चाहिए, कि वह सहमति, अनुचित देरी और दंड के आधार पर ऐसे आवेदनों पर विचार न करे।इसके अलावा, यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का उचित और न्यायिक रूप से प्रयोग किया गया था यदि वह इस तरह के रिट आवेदन को स्वीकार करता है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी, जिसे अपनी 'सेवा और अवकाश अभिलेख' में अपनी जन्म तिथि के बारे में शिकायत थी, वास्तव में उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का लाभ उठाकर इसे ठीक करने के लिए अपने सेवा जीवन के अंतिम अंत तक इंतजार नहीं कर सकता था।इसलिए, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सामान्य रूप से उच्च न्यायालयों को अपने विवेकाधीन रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा दायर रिट आवेदन/याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए या उसकी साधनता, उसकी सेवा के अंतिम छोर की ओर, उसकी 'सेवा और अवकाश रिकॉर्ड' या सेवा रजिस्टर में दर्ज उसकी जन्म तिथि को उसकी सेवानिवृत्ति की सामान्य अवधि से परे सेवा में बने रहने के घोषित उद्देश्य के साथ सुधार करने की मांग करना चाहिए।

11. तथापि, प्रत्येक उच्च न्यायालय की ओर से विवेकपूर्ण तरीके से, हमारे सुविचारित विचार में, उसे किसी कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर जन्म तिथि में सुधार के लिए याचिका में अंतरिम राहत देने से रोकना चाहिए, क्योंकि जन्म तिथि में इस तरह के सुधार को नियंत्रित करने वाली अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति, जो सटीक रूप से बताई गई है, निम्नलिखित है:जब कोई व्यक्ति रोजगार चाहता है, तो वह अनिवार्य रूप से उन नियमों और शर्तों से सहमत होता है जिन पर रोजगार की पेशकश की जाती है।सरकार या किसी अन्य कर्तार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य की सेवा में प्रत्येक पद के लिए पद के लिए कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर प्रवेश की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है।यह सत्यापित आदेश के लिए कि संबंधित व्यक्ति निर्धारित आयु से कम नहीं है, उसे अपनी जन्म तिथि का खुलासा करना आवश्यक है।जन्म तिथि सत्यापित की जाती है और यदि सही पाई जाती है तो

सेवा रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है।आमतौर पर यह माना जाता है कि पदधारी द्वारा बताई गई जन्म तिथि सटीक है।स्थिति यह है कि पदधारी जन्म तिथि देता है और नियोक्ता सेवा रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले इसे सही और सटीक स्वीकार करता है।कर्मचारी के बयान के आधार पर किए गए सेवा रिकॉर्ड में इस प्रविष्टि को सेवा शर्तों या प्रासंगिक नियमों द्वारा अनुमत तरीके को छोड़कर कर्मचारी की प्यारी इच्छा पर एकतरफा रूप से नहीं बदला जा सकता है।यहाँ फिर से जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए विचार विविध हो सकते हैं और नियोक्ता इसे न केवल एक वास्तविक गलती होने के दृष्टिकोण से बल्कि प्रतिष्ठान में सेवा पर इसके प्रभाव के दृष्टिकोण से भी देखने का हकदार होगा।यह सामान्य ज्ञान है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान की नियमों द्वारा शासित सेवा शर्तों का अपना समूह होता है।यह समान रूप से ज्ञात है कि व्यावहारिक रूप से प्रत्येक प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान में विभिन्न स्तरों पर सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करता है।विचार करने वाली पहली बात यह है कि क्या सेवा में प्रवेश की तारीख को कर्मचारी संशोधित जन्म तिथि पर सेवा में प्रवेश के लिए पात्र होता।दूसरा, लंबे समय के बाद उनकी जन्म तिथि का संशोधन प्रतिष्ठान में अन्य लोगों की पदोन्नति की संभावनाओं को परेशान करेगा जो इस आधार पर शामिल हो सकते हैं कि पदधारी एक निश्चित तिथि पर सेवानिवृत्त हो जाएगा जिससे दूसरों के लिए पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे।यदि ऐसा है और यदि जन्म तिथि में परिवर्तन की अनुमति देने से निराशा होने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो नियोक्ता विलंबित चरण में तारीख में सुधार की अनुमति देने से इनकार कर सकता है।यह याद रखना चाहिए कि इस तरह के अचानक और देर से परिवर्तन अन्य लोगों की वैध अपेक्षा को परेशान कर सकते हैं जो इस उम्मीद में सेवा में शामिल हुए होंगे कि नियत तिथि पर वरिष्ठ की सेवानिवृत्ति पर पदानुक्रम में एक ऊपर की ओर आंदोलन होगा।किसी भी मामले में ऐसे मामलों में सेवा में बने रहने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह अपूरणीय चोट के साथ जूनियरों का दौरा करता है, जिसमें उन्हें पदोन्नति से इनकार कर दिया जाएगा। जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है यदि दावा अंततः अस्वीकार्य पाया जाता है।दूसरी ओर, यदि सेवा में बने रहने के लिए कोई अंतरिम राहत नहीं दी जाती है और अंततः जन्म तिथि में सुधार के लिए उसका दावा स्वीकार्य पाया जाता है, तो उसे उन सभी मौद्रिक लाभों को देकर नुकसान की मरम्मत की जा सकती है जो उसे सेवा में बने रहने पर प्राप्त होते।इसलिए, हमारी राय है कि ऐसे मामलों में अंतरिम राहत देना अविवेकपूर्ण होगा।"

(9) वली मोहम्मद दोसाभाई सिंधी (ऊपर) के मामले में यह था यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार जन्म तिथि सेवा पुस्तिका में दर्ज किए जाने के बाद, किसी भी प्रविष्टि या परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि यह नहीं दिखाया गया हो कि यह

किसी व्यक्ति की ओर से देखभाल की कमी के कारण था और यह स्पष्ट लिपिकीय त्रुटि थी और एक बार जब राज्य ने हरनाम सिंह (उपरोक्त) के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए वैधानिक नियम बनाए थे।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर, जन्म तिथि की प्रविष्टि पर सवाल उठाने और जन्म तिथि में परिवर्तन प्रदान करने वाले नियमों की अनुपस्थिति में अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो उक्त मामले में बॉम्बे सेवा नियम, 1959 में 5 साल की अवधि के भीतर था।

(10) इसी तरह की स्थिति सीमा घोष (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित की गई है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया था जिसके तहत लाभ प्रदान किया गया था।

(11) जैसा कि देखा गया है कि हालांकि किसी भी नियम या निर्देश के लिए कोई विशिष्ट अभिवचन या संदर्भ नहीं किया गया है, लेकिन अब जवाब के जवाब में, हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब वित्तीय नियमों (अनुलग्नक-ए) का संदर्भ दिया गया है, जो काउंटर के साथ संलग्न किया गया था।

(12) उक्त नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि नियम 7.3 और अनुलग्नक-ए के तहत जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदन सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, जिसमें आगे यह प्रावधान है कि यदि बाद के चरण में कोई आवेदन किया जाता है, तो सही उम्र का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच की जानी चाहिए।

(13) इस न्यायालय की दोहरी खण्ड पीठ ने अंबिका कौल बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य में पंजीयक (जन्म और मृत्यु) द्वारा बनाए गए रजिस्टर में प्रविष्टि के आधार पर जन्म तिथि में सुधार के मुद्दे की जांच की, जो केंद्रीय बोर्ड माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी प्रमाण पत्रों से भिन्न था। पंजाब सिविल सेवा नियमों और वित्तीय नियमों की भी जांच की गई और अंततः एक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि सरकारी कर्मचारी को प्रासंगिक भर्ती नियमों के संदर्भ में मैट्रिक प्रमाण पत्र में प्रविष्टि पर विवाद करने से रोक दिया गया था।यही बात बहिष्कार के सिद्धांत पर इस हद तक थी कि एक बार जब वह जन्म की एक विशेष तिथि का प्रतिनिधित्व करते थे और बड़े होते थे, तो वह यह कहने के लिए नहीं घूम सकते थे कि उनकी जन्म तिथि अलग है।सीमा अधिनियम, 1963 की खंड 6 पर भरोसा करने के बावजूद, ऐसे मुकदमों पर वयस्क होने की आयु प्राप्त करने की तारीख से तीन साल बाद भी विचार नहीं किया जा सकता था।उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:-

"[16] हम रेशम सिंह के मामले (ऊपर) में इस अदालत की खण्ड पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं कि जन्म प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड है और स्कूल अधिकारियों द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र पर हावी होना चाहिए।लेकिन जिस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए वह यह है कि भले ही मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि जन्म और मृत्यु रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि से भिन्न है, क्या ऐसा व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर मैट्रिक प्रमाण पत्र में सुधार करने का हकदार है।हम पाते हैं कि वह मैट्रिक प्रमाणपत्र में प्रविष्टि पर विवाद करने से वंचित है, जिसे प्रासंगिक भर्ती नियमों के संदर्भ में लोक सेवा में रोजगार के लिए आधार बनाया गया है।

XXXXXXXXXXXXXXXX

[45] वास्तविक जन्म तिथि प्राप्त करने के अधिकार का उपयोग जन्म और मृत्यु पंजीयक द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बहुमत प्राप्त करने के तीन साल के भीतर किया जाना चाहिए।लेकिन, विकलांगता की समाप्ति से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद, कोई भी व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं कर सकता है।वह मैट्रिक प्रमाणपत्र में दी गई तारीख से बंधा होता है।इसलिए, किसी भी मामले में, जन्म और मृत्यु पंजीयक द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में प्रविष्टि के आधार पर वास्तविक जन्म तिथि प्राप्त करने का व्यक्ति का अधिकार उक्त प्रमाण पत्र में जन्म तिथि के आधार पर बहुमत प्राप्त करने के तीन साल बाद है।"

(14) उक्त सिद्धांत वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में भी सीधे लागू होगा।

(15) इस प्रकार, इस अदालत की यह सुविचारित राय है कि इस विलंबित चरण में जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए 10.03.2021 पर कानूनी नोटिस देकर, याचिकाकर्ता केवल सेवा में डेढ़ साल का विस्तार प्राप्त करने के लिए कोशिश रहा था, क्योंकि वह 31.05.2021 पर सेवानिवृत्त होने वाला था।उक्त अभ्यास को 05.05.2021 दिनांकित आदेश पारित करके और कोई अंतरिम आदेश नहीं देकर सही ढंग से समाप्त कर दिया गया था।

(16) सर्वोच्च न्यायालय ने एम. पी. राज्य में और अन्य बनाम प्रेमलाल श्रीवास में देखा है कि उक्त मामले में कर्मचारी ने 25 साल की सेवा के बाद अपनी जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदन किया था और यह माना गया था कि जन्म तिथि को ठीक करने का अपवाद यह होगा कि यदि कोई लिपिकीय त्रुटि थी और यह दिखाने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था कि यह किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही के कारण था।इसलिए, सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर इस तरह के सुधार के लिए न्यायालयों से संपर्क किया जा

रहा था और इसे अनुचित माना गया था।परिणामस्वरूप, अपील को स्वीकार कर लिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर दिया गया।उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

> "15. पुलिस आयुक्त, बॉम्बे और एक औरबनाम भगवान वी लहाने 5 (1997) 1 एस. सी. सी. 247 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपनी जन्म तिथि में सुधार की मांग करने वाले एक कर्मचारी के लिए, यह एक पूर्ववर्ती शर्त है कि उसे यह दिखाना होगा कि जन्म तिथि की गलत रिकॉर्डिंग किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही के कारण की गई थी, या यह कि यह एक स्पष्ट लिपिकीय त्रुटि थी जिसमें विफल रहने पर उसे राहत नहीं दी जानी चाहिए।फिर से, भारत संघ अन्य सी. राम स्वामी और अन्य में। 6 (1997) 4 एस. सी. सी. 647, यह देखा गया है कि एक वास्तविक त्रुटि आम तौर पर वह होगी जहां एक अधिकारी ने अपने आवेदन पत्र या किसी अन्य दस्तावेज में अपने रोजगार के समय जन्म की एक विशेष तिथि का संकेत दिया है, लेकिन गलती से या निरीक्षण से एक अलग तिथि दर्ज की गई है।
>
> (1) जैसा कि ऊपर कहा गया है, तत्काल मामले में, प्रतिवादी द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत दर्ज नहीं किया गया है कि 1 जून, 1942 के रूप में दर्ज जन्म तिथि किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही के कारण थी।वह यह दिखाने में विफल रहा था कि जन्म तिथि गलत तरीके से दर्ज की गई थी, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से देखभाल की कमी थी, इस तथ्य के बावजूद कि उसके द्वारा प्रस्तुत या हस्ताक्षरित दस्तावेजों पर सही जन्म तिथि दिखाई गई थी।हम मानते हैं कि इस तथ्य में ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं को उक्त नियमों के नियम 84 के तहत प्रतिवादी की जन्म तिथि को सही करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था।"

(17) इसी तरह, मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम श्याम किशोर सिंह में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत न हो कि दर्ज की गई जन्म तिथि गलत है, सुधार का दावा सेवा के अंतिम छोर पर अधिकार के मामले के रूप में नहीं किया जा सकता है।यह देखा गया कि सेवा में नियुक्ति वर्ष 1982 में हुई थी और वर्ष 2009 में एक प्रतिनिधित्व पेश किया गया था और कर्मचारी को वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त होना था।मैट्रिक प्रमाणपत्र पर भरोसा रखने के कारण और चूंकि झारखंड के उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसे खण्ड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था, इसलिए उक्त आदेशों को देरी के आधार पर ही रद्द कर दिया गया था। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः-

"11. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उसी नियोक्ता के संबंध में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम छोटा बिरसा उरांव (2014) 12 एस. सी. सी. 570 के मामले में इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें जन्म तिथि में परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए एक निर्देश जारी किया गया था।उसी पर विचार करने के बाद हमारी राय है कि उक्त निर्णय प्रतिवादी को इसमें सहायता प्रदान नहीं कर सकता है।यही कारण है कि उक्त मामले में यह ध्यान दें गया था कि 1987 में कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को स्थिर करने के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (iii) के कार्यान्वयन पर अमल किया गया था और इसके सभी कर्मचारियों को उनके सेवा रिकॉर्ड के विवरण वाले नामांकन पत्र प्रदान करके सेवा रिकॉर्ड में विसंगतियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने का मौका दिया गया था।उद्धृत मामले में प्रतिवादी (कर्मचारी) ने अपनी जन्म तिथि, नियुक्ति की तारीख, पिता के नाम और स्थायी पते के संबंध में अभिलेखों में विसंगतियों को देखा था और सुधार की मांग करने के अवसर का लाभ उठाया था। हालाँकि उन्होंने त्रुटियों को सुधारने की मांग की थी, लेकिन अन्य विसंगतियों को सही निर्धारित किया गया था, लेकिन जन्म तिथि और नियुक्ति की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया था। यह उस दृष्टिकोण से है कि कर्मचारी ने फिर से उसी के संबंध में एक विवाद उठाया था और न्यायिक उपाय मांगा गया था जिसमें उसे लाभ दिया गया था। इसके अलावा प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति से पहले तुरंत न्यायिक उपचार का लाभ नहीं उठाया।इसके बजाय, प्रतिवादी 31.03.2010 पर सेवा से सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद भी रिट याचिका उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से चार साल बाद ही वर्ष 2014 में दायर की गई थी। उस परिस्थिति में, उच्च न्यायालय का प्रतिवादी के प्रति हस्तक्षेप करना उचित नहीं था।

(18) इस प्रकार, कानून के तय किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि जन्म तिथि को सही करने के लिए किसी भी रिट ऑफ परमादेश को जारी करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है, जिसे याचिकाकर्ता ने वर्ष 2002 में नियुक्त होने के बाद से अपनी पूरी सेवा में स्वीकार किया है।अब लगभग दो दशकों के बाद सेवा के अंतिम चरण में, जो सुधार की मांग की गई है वह अनुचित है।तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

ऋतंभ्र ऋषि

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादी निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भासा में समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देश्य के लिए उपुक्त रहेगा।.

अरुणा गुप्ता